

कार्यवृत्त

बुधवार, 24 आषाढ़, शक संवत्, 1931
(दिनांक 15 जुलाई, 2009 ई0)

खण्ड-26
अंक-3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-310 के अन्तर्गत 04 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

पहली सूचना माननीय सदस्य कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री राजेश जुवांठा, श्री केदार सिंह रावत तथा श्री रणजीत सिंह रावत की है, जो जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में विगत 10 जनवरी, 2009 को आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान किये गये हवाई फायर का झूठा मुकदमा दर्ज कर कांग्रेस पार्टी एवं उसके विधायक का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना माननीय सदस्य, श्री मनोज तिवारी, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल तथा श्री करन महाराज की है, जो दिनांक 26-07-2008 को सोमेश्वर महाविद्यालय में कला विषय व आई0टी0आई0 में नये व्यवसायिक विषय की स्वीकृति की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे लोगों पर मुकदमों के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय की है, जो प्रदेश के कतिपय प्राथमिक विद्यालय में से पृथक किये गये शिक्षा आचार्यों/अनुदेशकों/स्वयंसेवकों को पूर्व की भांति विकास खण्ड स्तर/जिला स्तर पर समायोजन की मांग के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना माननीय सदस्य डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष की है, जो प्रदेश में बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों हेतु स्पष्ट रोजगार नीति बनाये जाने के सम्बन्ध में हैं।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि इन सूचनाओं में से कोई भी विषय नियम-310 के अन्तर्गत सुने जाने योग्य नहीं है। अतः वे इन सूचनाओं को नियम-310 के अन्तर्गत नहीं सुन रहे हैं। पहली सूचना के सम्बन्ध में कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा अन्य माननीय सदस्य तथा चौथी सूचना के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष को ग्राह्यता पर नियम-58 के अन्तर्गत सुन लेंगे। कांग्रेस के कुछ सदस्य आई0टी0आई0 के नये व्यवसायिक विषय की स्वीकृति की मांग को लेकर 'वेल' में आकर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे। श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्यों से बार-बार अनुरोध करने पर भी स्थान ग्रहण नहीं किया गया। जिससे घोर व्यवधान होने लगा। घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 11 बजकर 05 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

सदन की कार्यवाही 11 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर काल में आज की कार्यसूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या-1 पर माननीय सदस्य के अनुरोध पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय पर सूचना दे दें, तो चर्चा करा ली जायेगी।

नियम-300 के अन्तर्गत निम्नांकित विषयों पर सूचनाएं उनके नाम के सम्मुख अंकित माननीय सदस्यों द्वारा सदन के संज्ञान में लायी गयीं :-

1. श्री सुरेन्द्र राकेश
(पढ़ी हुई मानी गई)

जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत की बंजर भूमि पर अनुसूचित जाति एवं गरीबों को पट्टे आवंटित करने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती आशा नौटियाल

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत अगस्त्यमुनि, जगोट, कमसाल अम्बेडकर मोटर मार्ग पर छेडुला बैण्ड से जगोट मोटर मार्ग का विस्तारीकरण एवं डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

संसदीय कार्य मंत्री ने स्वर्गीय श्री राम चन्द्र जोशी, पूर्व सदस्य, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए।

निम्नांकित सदस्यों ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए :-

डा० हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष,
मौ० शहजाद,
श्री अजय टम्टा,
श्री ओम गोपाल तथा
श्री मनोज तिवारी।

श्री अध्यक्ष ने सदन की संवेदनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुए शोकोद्गार व्यक्त किए और कहा कि सदन में व्यक्त की गई शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दी जाएगी। सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट मौन खड़े हुए।

सभापति, आश्वासन समिति, उत्तराखण्ड विधान सभा ने आश्वासन समिति (2008-09) का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

श्री अनिल नौटियाल ने “जनपद देहरादून के विकास खण्ड रायपुर के अन्तर्गत लोअर नत्थनपुर, एकता इन्वलेव स्ट्रीट नं०-1 की सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में” श्री अवतार सिंह नेगी, निवासी एकता इन्वलेव स्ट्रीट नं०-1 एवं अन्य निवासीगण जनपद देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री सुरेन्द्र राकेश ने “जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड दुगड़डा के करैखाल से गोदी (बड़ी) मोटर मार्ग के डामरीकरण के सम्बन्ध में” श्री चन्द्र दत्त पसबोला, निवासी ग्राम गोदी, विकास खण्ड दुगड़डा एवं अन्य निवासीगण जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अनिल नौटियाल ने “जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड एकेश्वर के अन्तर्गत मटेलना के पुल से पिलखेरा-मैणा-सगोड़ा होते हुए ईड़ाखाल तक अधूरे मोटर मार्ग निर्माण के कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में” श्री कुलदीप सिंह चौहान, निवासी ग्राम सगोड़ा, पो० ईड़ाखान, पट्टी मवालस्यू एवं अन्य निवासीगण जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अनिल नौटियाल ने “जनपद चमोली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरतोली के उच्चीकरण के सम्बन्ध में” श्री भरत सिंह, निवासी ग्राम बरतोली एवं अन्य निवासीगण जनपद चमोली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री सुरेन्द्र राकेश ने “जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड भगवानपुर में माँ चूड़ामणी देवी सिद्धपीठ मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में” श्री त्यागी, निवासी ग्राम व पोस्ट चुड़ियाला एवं अन्य निवासीगण जनपद हरिद्वार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि श्री प्रीतम सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2009 की कार्यसूची की मद संख्या-6 के सम्बन्ध में उनके द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध सदन के अवमानना की सूचना के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किए।

श्री अध्यक्ष ने कहा वे इस सम्बन्ध में परीक्षण करा लेंगे तथा दूसरे पक्ष से भी वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात अपना निर्णय देंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर कांग्रेस के सभी सदस्य ‘वेल’ में आकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे। तदुपरान्त कांग्रेस के सभी सदस्यों ने बसपा के काजी मौ० निजामुद्दीन तथा चौ० यशवीर सिंह सहित सदन का त्याग किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य-मंत्रणा समिति ने दिनांक 14 जुलाई, 2009 की बैठक में दिनांक 15 जुलाई, 2009 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

जुलाई, 2009

15 (बुधवार)

वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-58 के अन्तर्गत 15 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

श्री सुरेन्द्र राकेश द्वारा अपनी सूचना को ग्राह्यता में स्वीकार न किये जाने पर बसपा के सभी सदस्य 'वेल' में आकर ग्राह्यता स्वीकार किए जाने के लिए अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि केवल चार सूचनाएं ही ग्राह्यता पर सुने जाने हेतु ली जाती हैं। बसपा के सभी सदस्य अपनी सूचना को ग्राह्यता पर न सुने जाने के विरोध में 'वेल' में बैठ गये। श्री अध्यक्ष ने कहा कि वे इस विषय की ग्राह्यता पर कल सुन लेंगे। इस पर 'वेल' में बैठे सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये।

प्रदेश में बी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगारों हेतु स्पष्ट रोजगार नीति बनाये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा राज्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में विगत 10 जनवरी, 2009 को आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के दौरान किये गये हवाई फायर का कथित झूठा मुकदमा दर्ज कर कांग्रेस पार्टी एवं उसके विधायक का उत्पीड़न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" तथा श्री केदार सिंह रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

विधायक निधि से कार्यदायी संस्थाओं तथा सम्बन्धित सरकारी एजेन्सियों द्वारा सुविधा शुल्क लिये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री किशोर उपाध्याय ने अपने विचार व्यक्त किए। समाज कल्याण राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

सदन की कार्यवाही 1 बजकर 53 मिनट पर भोजनावकाश के लिए 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

सदन की कार्यवाही 3 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

जनपद ऊधमसिंह नगर के तहसील किच्छा में जाति प्रमाण-पत्र बनाने में हो रही कठिनाई विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री प्रेमानन्द महाजन ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि विषय की गम्भीरता को देखते हुए वे इस पर सूचना दे दें तो वे इस पर चर्चा करवा लेंगे। तदुपरान्त उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेन्शन का भुगतान समय पर न होने से समाज के निर्बल, असहाय वर्ग को हो रही कठिनाई विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

प्रदेश में बी0एड0/बी0पी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों हेतु विशिष्ट बी0टी0सी0 की विज्ञप्ति जारी न किये जाने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम ने अपने विचार व्यक्त किए। शिक्षा राज्य मंत्री को सुनने के उपरान्त श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

जनपद हरिद्वार में धार्मिक स्थलों को तोड़ने विषयक सूचना की ग्राह्यता के सम्बन्ध में श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास तथा हाजी तस्लीम अहमद ने अपने विचार व्यक्त किए। संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से सतुष्ट न होने पर बसपा के सभी सदस्य चौ० यशवीर सिंह को छोड़कर 'वेल' में आकर अपनी-अपनी बात जोर-जोर से कहने लगे। श्री अध्यक्ष द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने पर 'वेल' में खड़े सदस्य 'वेल' में बैठकर जोर-जोर नारेबाजी करने लगे।

श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राह्य किया।

शेष सूचनाएं भी अस्वीकृत हुईं।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा 4 बजकर 06 मिनट पर सदन की कार्यवाही 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

4 बजकर 30 मिनट पर मार्शल ने सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

सदन की कार्यवाही 4 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

बसपा के सदस्य 'वेल' में बैठकर विरोध करते रहे। श्री अध्यक्ष के बार-बार अनुरोध किए जाने पर भी 'वेल' में बैठे सदस्य अपने स्थान पर नहीं गये।

इस व्यवधान के ही मध्य वित्तीय वर्ष, 2009-10 के आय-व्ययक पर चर्चा आरम्भ करने के लिए नेता प्रतिपक्ष को पुकारा गया, किन्तु सदन अव्यवस्थित होने की बात कहते हुए उन्होंने चर्चा आरम्भ करने में असमर्थता व्यक्त की। इस पर चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई।

व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम-53 के अन्तर्गत 03 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

जनपद ऊधमसिंह नगर में मैसर्स वीडियोकोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड गंगापुर, काशीपुर को 4000 के०वी०ए० विद्युत भार अवमुक्त करने की कार्यवाही में पावर कारपोरेशन को 85.22 लाख की क्षति करने पर जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत की सूचना को नियम-53 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया।

ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार में जट, सिख-जाट समुदाय को पिछड़ा वर्ग में शामिल किये जाने सम्बन्धी स्थिति को स्पष्ट किये जाने विषयक श्री नारायण पाल की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया।

शेष सूचना अस्वीकृत हुईं।

व्यवधान के ही मध्य राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों के पत्राचार बी०टी०सी० शिक्षकों को राजकीय सेवाओं में समायोजन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जुलाई, 2009 को नियम-53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने वक्तव्य दिया।

सदन की कार्यवाही 4 बजकर 59 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

महेश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
हरबंस कपूर,
अध्यक्ष,
विधान सभा।